UPHR010056722024

न्यायालय चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, ई०सी० एक्ट, हरदोई।

मिस० सिविल अपील संख्या– 15/2024

नरेन्द्र पाल सिंह बनाम राज कुमार सिंह आदि

निस्तारण प्रार्थना पत्र 17 ग

दिनांक–09.07.2025

1. पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली आज प्रार्थना पत्र 17 ग पर आदेश हेतु नियत है। उभयपक्ष को पूर्व पेशी पर उक्त प्रार्थना पत्र 17 ग पर सुना जा चुका है।

2. **प्रार्थना पत्र 17 ग** अपीलार्थी की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अपील में उत्तरदाता नं०–5 का देहान्त दिनांक 20.11.2024 को हो गया है। श्रीमती रानी देवी पत्नी राजू मिश्रा, संजय, संदीप, डेविड पुत्रगण उनके वैध प्रतिनिधि वैध उत्तराधिकारी होने के कारण उनके द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति के वास्तविक भोगाधिकार में होने के कारण मृतक के स्थानापन्न हैं। न्यायार्थ मृतक के उक्त वैध प्रतिनिधि वैध उत्तराधिकारी को अपील में स्थानापन्न किया जाना तदनुसार वादपत्र में संशोधन किया जाना आवश्यक है। वादपत्र में निम्नलिखित संशोधन किये जाने की प्रार्थना की गयी है–

अपील में, पक्षकारों में उत्तरदाता नं० 5 के आगे "मृतक" अंकित कर दिया जावे तथा "उत्तरदातागण 5/1 ता 5/5 अंकित कर दिये जावे।

5/1 श्रीमती रानी देवी आयु 60 वर्ष पत्नी स्व० श्याम सुन्दर

5/2 राजु मिश्रा आयु 35 वर्ष पुत्र स्व० श्याम सुन्दर

5/3 संजय आयु 30 वर्ष पुत्र स्व० श्याम सुन्दर

5/4 संदीप आयु 28 वर्ष पुत्र स्व० श्याम सुन्दर

5/5 डेविड आयु 25 वर्ष पुत्र स्व० श्याम सुन्दर

अपील में धारा 5 के अन्त में निम्नलिखित अंकित कर दिया जावे।

Digitally signed by YASHPAL
Date: 2025.07.09 15:40:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

"<u>दौरान अपील उत्तरदाता नं05 का देहान्त हो गया है</u> उत्तरदातागण 5/1 ता 5/5 मृतक के वैध प्रतिनिधि वैध उत्तराधिकारी होने के कारण मृतक के स्थान पर स्थानापन्न किया जाता है।"

3. प्रतिवादीगण/उत्तरदातागण की ओर से उपरोक्त **प्रार्थना पत्र पर आपत्ति कागज संख्या– 18 ग** दाखिल करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थनापत्र दुर्भावनापूर्ण है तथा महज वाद मे विसगंतियाँ उत्पन्न करने की नियत से प्रस्तुत किया गया है। आवेदनपत्र में यह कथन कि उत्तरदाता सं० 5 का देहान्त दिनॉक 20.11.2024 को हो गया है, सर्वथा गलत व निराधार है और इस सम्बन्ध मे अपीलकर्ता की ओर से मिथ्या शपथपत्र दिया गया है। प्रस्तुत मूल वाद वादी द्वारा दिनाँक 23.10.2020 को प्रस्तुत किया गया जबकि उत्तरदाता संख्या 5 श्यामसुन्दर की मृत्यु वास्तव मे दिनॉक 20.12.2016 को हो चुकी थी। अपीलकर्ता द्वारा मूल वाद सन् 2020 में प्रस्तुत किया गया, जबकि उसमें अंकित पक्षकार प्रतिवादी सं० 5 की मृत्यु वाद योजन के 4 वर्ष पूर्व दिनॉक 20.12.2016 को हो गयी थी और मृत व्यक्ति के विरूद्ध वाद योजित किये जाने के कारण वाद शून्यता की स्थित को प्राप्त करता है और इन तथ्यों के आधार पर अपील व वाद सामान्य व संक्षिप्त अवस्था में निरस्त किये जाने योग्य है। वादी अपीलकर्ता को प्रतिवादी सं० 5 श्यामसुन्दर की मृत्यु की भलीभॉति जानकारी वाद योजन की तिथि पर थी, फिर भी मृत व्यक्ति के विरूद्ध वाद हेतुक दर्शित करते हुये वाद योजित किया गया है, जिस कारण अपील व वाद प्रारम्भिक स्तर पर सामान्य व अवस्था में खण्डित किये जाने योग्य है। आदेश 22 के प्राविधान किसी भी पक्षकार की मृत्यु वाद के आलम्बनकाल में होने के सम्बन्ध मे प्राविधानित है, लेकिन वाद योजन के पूर्व से ही मृत व्यक्ति के सम्बन्ध में आदेश 22 में प्राविधान प्रयोज्य नहीं है, जिस कारण भी आवेदनपत्र खण्डित किये जाने योग्य है। आवेदनपत्र आदेश 22 नियम 4 व आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता की परिधि से परे है। आवेदनपत्र विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. पत्रावली का परिशीलन किया। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र 17 ग अपीलार्थी की ओर से अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व आदेश 6 नियम 17 व धारा–151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत इस आशय का दिया गया है कि प्रस्तुत अपील में उत्तरदाता नंबर 5 श्यामसुन्दर का देहांत दिनांक 20.11.2024 को हो जाने के कारण मृतक के विधिक प्रतिनिधियों को प्रस्तुत

अपील में प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है। तदनुसार अपील में वांछित संशोधन किए जाने की प्रार्थना की गयी है। उत्तरदातागण/प्रतिवादीगण की ओर से यह आपत्ति की गयी है कि उत्तरदाता संख्या–5 श्यामसुन्दर की मृत्यु दिनांक 20.11.2024 को न होकर के वास्तव में मृत्यु दिनांक 20.12.2016 को हो चुकी थी तथा यह भी यह कथन किया गया है कि अपीलकर्ता द्वारा मूल वाद सन् 2020 में दाखिल किया था, जबकि उक्त पक्षकार प्रतिवादी संख्या–5 श्यामसुन्दर की मृत्यु वाद संस्थन के चार वर्ष पूर्व हो चुकी थी। अपीलकर्ता द्वारा मूल वाद, अन्य प्रतिवादियों के साथ प्रतिवादी संख्या–5 श्यामसुन्दर के विरुद्ध भी दाखिल किया गया था, जबकि मूल वाद संस्थन की तिथि पर प्रतिवादी संख्या–5 श्यामसुन्दर मृत था। मृत व्यक्ति के विरुद्ध वादी को कोई वाद कारण प्राप्त नहीं हुआ। आदेश 12 का प्रावधान दौरान वाद किसी पक्षकार की मृत्यु होने पर प्रतिस्थापन के संबंध में प्रस्तुत प्रकरण आदेश 22 नियम 4 की परिधि में नहीं आता है।

5. उत्तरदातागण द्वारा आपत्ति 18ग के साथ मृतक श्यामसुन्दर मिश्रा पुत्र स्व० नन्दलाल मिश्रा का मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति दाखिल की गयी है, जो कि पत्रावली पर कागज संख्या–18ग/3 के रूप में स्थित है, जिसमें श्यामसुन्दर मिश्रा की मृत्यु की तिथि 20.12.2016 अंकित है। इस मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति पर कोई आपत्ति अपीलार्थी की ओर से नहीं की गयी है और न ही उक्त छायाप्रति को फर्जी बताया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि उत्तरदातागण संख्या–5 श्यामसुन्दर मिश्रा की मृत्यु दिनांक 20.12.2016 को हुयी थी न कि दिनांक 20.11.2024 को, जैसा कि प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 17ग के साथ प्रतिवादी संख्या–5 श्यामसुन्दर की मृत्यु के संबंध में कोई मृत्यु प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किया गया है, जिससे उत्तरदातागण की आपत्ति में बल प्रतीत होता है। न्यायालय उत्तरदातागण के इस तर्क से भी सहमत है कि यदि मूल वाद दाखिल होने से पूर्व भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गयी हो और ऐसे मृत व्यक्ति को किसी सिविल वाद में प्रतिवादी के रूप में संयोजित किया गया हो, जो कि वाद संस्थन की तिथि पर मृत हो, तो ऐसी स्थिति में मृत पक्षकार के विरुद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हो सकता है और न ही उपरोक्त परिस्थितियों में धारा–22 नियम 4 व आदेश–6 नियम 17 तथा धारा–151 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत उक्त

मृत पक्षकार के संबंध में प्रतिस्थापन/संशोधन की कोई कार्यवाही की जा सकती है।

6. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में न्यायालय के मत में प्रार्थना पत्र 17 ग स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

आदेश

7. **अपीलार्थी** की ओर से प्रस्तुत **प्रार्थना पत्र 17 ग निरस्त** किया जाता है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 05.08.2025 को पेश हो।

दिनांक 09.07.2025

(यशपाल)
चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
ई०सी० एक्ट, हरदोई।